82. इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विवेचनानुसार प्रार्थी/वादीगण के पक्ष में ठोस प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन: एवं (3) अपूर्णनीय क्षति :–

83. चूंकि प्रार्थी/वादीगण के पक्ष में ठोस प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया गया है, ऐसे में चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने से प्रार्थी/वादीगण के विधिक अधिकारों का हनन होता है।

84. साथ ही प्रार्थी/वादीगण दिनांक 16.03.2015 से लगभग 10 वर्षो से अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रेडमार्क "EMPRESS" का उपयोग करते चले आ रहे हैं तथा इस दौरान निर्माण कार्य एवं रियल एस्टेट संबंधी सेवाओं के क्षेत्र में ख्याति (Goodwill) भी अर्जित कर ली है।

85. जबकि दूसरी ओर अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रश्नगत ट्रेडमार्क डिवाइस का अपने प्रोजेक्ट "EMPRESS PHASE-1" के लिए उपयोग हाल ही में लगभग माह अक्टूबर, 2024 से ही शुरू किया है। इससे पूर्व अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अन्य रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स के तहत निर्माण कार्य एवं रियल एस्टेट संबंधी सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करते चले आ रहे हैं तथा अपने उक्त प्रोजेक्ट "EMPRESS PHASE-1" का नाम बदलकर इस प्रोजेक्ट को निरंतर जारी भी रख सकते हैं। तदनुसार चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने की स्थिति में प्रार्थी/वादीगण को ना केवल तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा कारित होती है, बल्कि अपूर्णनीय क्षति भी कारित होती है। वहीं चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को कोई असुविधा कारित होना प्रकट नहीं होता है, अपूर्णनीय क्षति कारित होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

21.2.25
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम–1
जयपुर महानगर द्वितीय (राज.)

–आ दे श–

86. अतः प्रार्थी/वादीगण का हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी/वादीगण द्वारा उपयोग में लिये जा रहे ट्रेडमार्क "EMPRESS" से भ्रामक रूप से समान (deceptively similar) प्रश्नगत ट्रेडमार्क डिवाइस (impugned trademark device) का या अन्य किसी हूबहू समान (verbatim/identically similar) या भ्रामक रूप से समान (deceptively

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर–द्वितीय (राज.)

similar) ट्रेडमार्क डिवाइस का उपयोग करते हुए क्लॉस-36 एवं 37 में वर्णित निर्माण कार्य एवं रियल एस्टेट संबंधी सेवाओं के क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट लांच ना करें, ना ही अन्य कोई कार्य शुरू करे।

87. साथ ही अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रश्नगत ट्रेडमार्क डिवाइस का उपयोग करते हुए अपने उक्त प्रोजेक्ट "EMPRESS PHASE-1" का प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्यथा विज्ञापन नहीं करें, ना ही कोई बुकिंग करें।

88. अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे आज से 07 दिवस के अन्दर अपने उक्त प्रोजेक्ट "EMPRESS PHASE-1" का नाम बदलकर रेरा से नये नाम से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें तथा आगामी 07 दिवस की अवधि में अपने उक्त प्रोजेक्ट "EMPRESS PHASE-1" का नाम बदले जाने का समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' एवं 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' के राष्ट्रीय संस्करणों में (उन्हीं पृष्ठों पर जिन पर उक्त प्रोजेक्ट के विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे) 'पब्लिक नोटिस' प्रकाशित करें तथा जिन क्रेताओं से उक्त प्रोजेक्ट के नाम पर बुकिंग प्राप्त की जा चुकी है, उन्हें भी प्रोजेक्ट का नाम बदले जाने के तथ्य से अवगत करावें एवं अपनी वेबसाइट एवं सोशल मीडिया साइट्स से अपने उक्त प्रोजेक्ट "EMPRESS PHASE-1" का नाम हटाकर बदला हुआ नाम प्रकाशित करे।

89. अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 रेरा को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे 07 दिवस के अन्दर अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के उपरोक्त प्रोजेक्ट "EMPRESS PHASE-1" का नाम बदला जाकर वर्तमान रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर नये नाम से रजिस्ट्रेशन किया जाना सुनिश्चित करे।

90. उक्तानुसार प्रार्थी/वादीगण की ओर से दिनांक 24.01.2025 को अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से (ad-interim temporary injunction) पारित किये जाने के लिए पृथक से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अब निष्प्रयोजनीय हो जाने कारण खारिज किया जाता है।

91. न्यायहित में खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम-1
जयपुर महानगर द्वितीय (राज.)

सत्य प्रतिलिपि
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर-द्वितीय (राज.)

(दिनेश कुमार गुप्ता)

न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय,
क्रम–1, जयपुर महानगर–द्वितीय।

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम–01
जयपुर महानगर द्वितीय (राज.)

92. यह आदेश आज दिनांक 21.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय,
क्रम–1, जयपुर महानगर–द्वितीय।

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम–01
जयपुर महानगर द्वितीय (रा.ज.)

प्रमाणित प्रति

मुख्य ...
केन्द्रीय प्रतिलिपि ...
वाणिज्यिक न्यायालय ...
महानगर–द्वितीय ...